


03.11.2025

वि.पाराम / अरोदे व

अपील संख्या 10/2025 अ/प

हुकम या कार्यवाही गय इनिशीयल्स जज



प्राथी एवं अभिभाषक प्राथी ने उपरिथत होकर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के सिविल रिट नंबर 4811/2023 के आदेश की प्रति पेश की, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.12.2022 व नगर पालिका तारानगर के नोटिस दिनांक 24.01.2023 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए तिथि निर्धारण के निर्देश दिए। तदानुसार प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जरिये वकालतनामा उपस्थित, जिसे शामिल पत्रावली किया। प्राथी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी का अप्रार्थी के साथ आपसी समझौता होने के कारण प्राथी उक्त अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता तथा इस कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप करवाना चाहता है, जिस पर अप्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी अनापति जाहिर की। अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अभिभाषक प्राथी व अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र बहस पर मनन किया। उक्त प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 03.04.2024 की पालना में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राथी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी का अप्रार्थी के साथ आपसी समझौता हो गया है। प्राथी उक्त अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता तथा इस कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप करवाना चाहता है, जिस पर अप्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी अनापति जाहिर कर दी है। उक्त परिपेक्ष्य में प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)

संभागीय आयुक्त,

बीकानेर

Handwritten signature and notes in Hindi, including 'वि.पाराम' and 'अपील संख्या 10/2025 अ/प'.